बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०– 3/अ०प्र०–01–273/2009 481 /पटना, दिनांकः– 28.8.25

समस्तीपुर जिला में कार्य प्रमंडल रोसड़ा अंतर्गत श्री इफ्तखारूल हक, पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा द्वारा श्री जगन्नाथ दास, तदेन पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, रोसड़ा, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि श्री राम दयाल पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–2, रोसड़ा द्वारा श्री दास को अग्रिम देकर योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसपर महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा भी अंकेक्षण आपत्ति की गयी।

4. उक्त मामले की जाँच कार्यपालक अभियंता, निगरानी प्रमंडल–1 (मुख्यालय, पटना) से करायी गयी तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय आदेश संख्या–79 सह–पठित–ज्ञापांक 3668 दिनांक 17.03.2011 द्वारा श्री दास को निलंबित किया गया तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल–2, दरभंगा को दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में श्री दास के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यालय आदेश सं0–113–सह–पठित ज्ञापांक–5425 अनु0 दिनांक 25.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

5. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा के पत्रांक 732 अनु0 दिनांक 22.06.2011 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का विभाग द्वारा की गई समीक्षा के उपरान्त श्री दास को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–58–सह–पठित ज्ञापांक 3064, दिनांक 23.02.2012 द्वारा निम्न दंड अधिरोपित किये गये :–

(i) निन्दन की सजा जो आरोप वर्ष 2010–11 को छोड़कर अगले तीन वर्षों (2011–12, 2012–13, 2013–14) तक प्रभावी रहेगी।

(ii) दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

6. उपरोक्त परिपेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(6)(क). में निहित प्रावधानानुसार श्री दास को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–107–सह–पठित ज्ञापांक 6068, दिनांक 29.03.2012 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–01–273/2009 9277 /पटना, दिनांकः– 28.8.25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar
28/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–273/2009 9277 /पटना, दिनांकः– 28.8.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता–6 दरभंग, ग्रामीण कार्य विभाग /अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/अवर सचिव, प्रशाखा–08, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री जगन्नाथ दास, पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, रोसड़ा, सम्प्रति सेवानिवृत (पत्राचार का पताः– मोहल्ला–छपकी परड़ी, डाकघर–लक्ष्मीसागर, थाना–सदर, जिला–दरभंगा, पिनकोड–846009, मोबाईल नं0–9471641067) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Skumar
28/8/25
अवर सचिव